

क्षतिपूरक वृक्षारोपण (CA) हेतु चयनित स्थल की चेकलिस्ट

क्रम सं०	बिन्दु	टिक बाक्स
1	चयनित स्थल केवल वन ब्लाक में हो।	✓
2	वनस्पतिक घनत्व 0.4 से कम हो।	✓
3	चयनित स्थल प्रबंधकीय दृष्टि कोण से भी पूर्णतया उपयुक्त हो	✓
4	किसी भी तरह का अतिक्रमण व अधिभार न हो।	✓
5	किसी भी तरह का कृषि कार्य न हो रहा हो।	✓
6	स्थल का मौके पर निरीक्षण कर/कराकर वृक्षारोपण हेतु स्थल पूर्णतः उपयुक्त है।	✓
7	चयनित स्थल का गूगल अर्थ पर प्राथमिक परीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जायें कि क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु मानको के अनुरूप है।	✓
8	पूर्व में किसी अन्य योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण न कराया गया हो।	✓
9	यदि चयनित स्थल पर किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व में वृक्षारोपण कराया गया हों तथा वृक्षारोपण असफल हो गया हो तो इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वांछित औपचारिकताएं, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, तथा इस क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा सकता है।	—
10	यदि चयनित स्थल पर पूर्व से ही लैण्टाना की झाड़ियाँ अथवा घास फूस विद्यमान हो तथा स्थल का घनत्व 0.4 से कम हो एवं वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हो तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न किया जाये	संलग्न है


 प्रभागीय वनाधिकारी,
 वन प्रभाग, अयोध्या।

प्रमाण-पत्र

प्रतिपूरक वनीकरण के लिए बकचुना वन ब्लाक, कुमागरंज रेंज (आरक्षित वन भूमि) पर क्षेत्रफल 3.172 हे0 में प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित स्थल पर झाड़ियां अथवा घास-फूस है, स्थल का घनत्व 0.4 से कम है। इसके पूर्व इसे किसी परियोजना में सम्मिलित नहीं किया गया है। यह क्षेत्र प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए सर्वथा उपयुक्त है।


क्षेत्रीय वन अधिकारी,
कुमागरंज रेंज अयोध्या


प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, अयोध्या।
